



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1948 (श10)

(सं0 पटना 1263) पटना बुधवार 7 अक्टूबर 2026

कृषि विभाग
माप एवं तौल—(विधिक माप विज्ञान)

अधिसूचना
6 अक्टूबर 2026

सं0 मा0-तौ0 (के0 प्रयोग0)—17/2026/539—राज्य सरकार एतद् द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 के आलोक में बिहार विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 कहा जायेगा।
- (2) ये पूरे बिहार राज्य में लागू होंगे।
- (3) ये आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 2 का प्रतिस्थापन—बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2014 (जिसे आगे मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

“2. परिभाषाएँ — इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा न बताये, —

- (क) “एक्ट” का मतलब है विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (1 ऑफ 2010);
- (ख) “पोर्टल” का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जिसे नियंत्रक ने नियम 11 की उप-नियम (1) के तहत आवेदन करने, शुल्क का भुगतान करने, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने, रिटर्न जमा करने और इन नियमों के तहत रजिस्टर बनाए रखने के लिए अधिसूचित किया है;
- (ग) “संदर्भ मानक प्रयोगशाला” का मतलब है एक ऐसा प्रयोगशाला जिसे केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के तहत स्थापित किया है, जहां संदर्भ मानक, द्वितीयक मानक और कार्यकारी मानक बनाए रखे जाते हैं;
- (घ) “पंजीकरण प्राधिकरण” का मतलब है विधिक माप विज्ञान के नियंत्रक को, जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत नियुक्त किया गया हो, और इसमें वह अन्य अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें नियंत्रक ने इस संबंध में नियम 11 की उप-नियम (1) के तहत अधिकृत किया हो, जो ऐसी अधिकृति की शर्तों और सीमाओं के भीतर कार्य कर रहा हो; और ऐसा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत नियंत्रक द्वारा जारी किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा।

- (ड.) “पंजीकरण प्रमाणपत्र” का अर्थ उस पंजीकरण प्रमाणपत्र से है जो अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) और नियम 11 के तहत जारी किया गया हो;
- (च) “अनुसूची” का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है;
- (छ) न नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।
- मूल नियमों के नियम 2 में “लाइसेंसिंग प्राधिकरण” या किसी संबंधित अभिव्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं है, और मुख्य नियमों का कोई प्रावधान नियम 2 के किसी अक्षरित खंड का संदर्भ नहीं देता है। इसलिए पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन करना परिणामस्वरूप प्रभाव से मुक्त है और इसे सम्मिलन और पुनः-अक्षरित करने की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है।

3. नियम 11 का प्रतिस्थापन—मूल नियमों में, नियम 11 की जगह निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी: —

“11. बाट और माप के निर्माता, मरम्मत करने वाले और डीलरों का पंजीकरण.

- (1) **आवेदन—**कोई भी निर्माता या मरम्मतकर्ता, या किसी भी बाट या माप में डीलर, इस तरह के निर्माण, मरम्मत या बिक्री शुरू करने से पहले, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियंत्रक या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, अनुसूची II में निर्धारित उपयुक्त फॉर्म में, नियंत्रक द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा, और इसके साथ —

(क) उक्त फॉर्म में दर्ज स्व-सत्यापन;

(ख) उक्त फॉर्म में निर्दिष्ट दस्तावेज़; और

(ग) अनुसूची IV में निर्दिष्ट शुल्क, जो वापसी योग्य नहीं होगा:

सिर्फ इस शर्त के साथ कि किसी निर्माता को अपने ही बाट या माप की मरम्मत के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी ऐसे राज्य में आवश्यक नहीं होगा जो उसके निर्माण राज्य से अलग हो:

व्याख्या—संदेह को दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो खुद अपने स्वामित्व वाले और केवल अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाट या माप को ठीक करता है, साफ करता है, चिकनाई करता है या रंग करता है, और जो किसी अन्य व्यक्ति को इसके बदले में या किसी अन्य तरीके से कोई सेवा प्रदान नहीं करता, उसे केवल इस कृत्य के कारण इन नियमों के उद्देश्यों के लिए मरम्मत व्यवसाय करने वाला नहीं माना जाएगा; और इस व्याख्या में कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है जो अधिनियम की धारा 23 के प्रभाव को प्रभावित करे।

- (2) **पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना —** उप-नियम (1) के अंतर्गत पूरी आवेदन प्राप्त होने और शुल्क के प्राप्त होने पर, अनुसूची III में निर्दिष्ट उपयुक्त फॉर्म में एक पंजीकरण प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वतः जारी किया जाएगा, और इसके लिए कोई पूर्व निरीक्षण आवश्यक नहीं होगा।

(क) प्रत्येक जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र में एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या और नियंत्रक या उप-नियम (1) के अंतर्गत उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा।

(ख) इस उप-नियम के तहत जारी प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र को अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नियंत्रक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र माना जाएगा।

- (3) **वैधता की अवधि —** उप-नियम (2) के तहत जारी की गई पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके जारी होने की तारीख से प्रभावी रहेगा जब तक इसे नियम 12 के तहत निलंबित, रद्द या सुपुर्द न किया जाए, और इसे नवीनीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

- (4) **क्षेत्राधिकार का क्षेत्र —** निर्माता या विक्रेता को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र पूरे बिहार राज्य में मान्य होगा; और मरम्मत कर्ता को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र उस राज्य के ऐसे क्षेत्रों के लिए मान्य होगा जैसा कि इसमें निर्दिष्ट किया गया हो।

- (5) **शर्तें —** हर पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुसूची III में दी गई शर्तों के अधीन होगा।

- (6) **आवेदन की जांच —** उप-नियम (1) के तहत प्रत्येक आवेदन की जांच नियंत्रक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर की जाएगी, और —

(क) यदि आवेदन में कोई ऐसी जानकारी पाई जाती है जो किसी महत्वपूर्ण विवरण में झूठी या गलत हो, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र को नियम 12 के अनुसार निलंबित या रद्द किया जा सकता है;

(ख) यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी ऐसे बयान के आधार पर प्राप्त किया गया है जो किसी महत्वपूर्ण विवरण में झूठा हो, तो वह प्रारंभ से ही शून्य होगा, और इसके लिए दी गई शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी;

यह धारा यह नहीं मानी जाएगी कि यह अधिनियम की धारा 15 या नियम 12 के तहत किसी भी समय किसी भी शक्ति का प्रयोग सीमित या प्रभावित करती है।

- (7) **त्रैमासिक रिटर्न**—पंजीकरण प्रमाणपत्र का हर धारक, सब-रूल (1) में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से, प्रत्येक त्रैमासिक रिटर्न के लिए शेड्यूल VII-A में दिए गए फॉर्म QR-1 में रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले प्रत्येक तिमाही के लिए होगा, और संबंधित तिमाही के अगले महीने की पंद्रहवीं तारीख तक इसे जमा करना होगा।
- (8) **रिकॉर्ड और रजिस्टर**—पंजीकरण प्रमाणपत्र का हर धारक शेड्यूल VII में दिए गए रजिस्टर और रिकॉर्ड को नियम 13 और अधिनियम की धारा 17 के अनुसार बनाए रखेगा, और जब अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यकता हो, तो इन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (9) **कार्यशाला, उपकरण और औज़ार**—प्रत्येक पंजीकृत निर्माता और प्रत्येक पंजीकृत मरम्मतकर्ता को अपनी के लिए लागू अनुसूची III में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्यशाला, उपकरण, औज़ार और उपकरण प्रदान करने और बनाए रखने होंगे।
- (10) **सुरक्षा जमा**—प्रत्येक पंजीकृत मरम्मतकर्ता को प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए अनुसूची VI में निर्दिष्ट राशि की सुरक्षा जमा करनी होगी, जो ऑनलाइन मोड में, नियंत्रक के पक्ष में होगी, और—
 - (क) किसी भी सुरक्षा जमा पर राज्य सरकार द्वारा कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा;
 - (ख) सुरक्षा जमा को, पूरे या आंशिक रूप से, नियंत्रक के लिखित आदेश से जब्त किया जा सकता है, जिसमें कारण बताए गए हों और धारक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद बनाया गया हो, जब पंजीकरण प्रमाण पत्र को नियम 12 के तहत रद्द किया जाता है या जब धारक के द्वारा अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत कोई राशि देय हो।
- (11) **प्रदर्शन**—हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को उस स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा जहां रजिस्टर्ड व्यक्ति अपना व्यापार करता है।
- (12) **न बेचा जा सकेगा न हस्तांतरित**—रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न तो बेचा जा सकता है और न ही इसे हस्तांतरित किया जा सकता है।
- (13) **विवरण में बदलाव**—(क) हर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का धारक नियंत्रक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से, अपने आवेदन में दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव की सूचना, ऐसी बदलाव की तारीख से तीस दिनों के भीतर देना होगा।
 - (ख) ऐसी सूचना मिलने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बदलाव के लिए अनुसूची IV में निर्दिष्ट फीस का भुगतान होने पर, नियंत्रक या उक्त अधिकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आवश्यक बदलाव करेंगे।
 - (ग) जब किसी फर्म, कंपनी या अन्य संस्था की संरचना में परिवर्तन होता है, जो पंजीकरण प्रमाण पत्र रखती है, चाहे वह किसी साझेदार के प्रवेश या सेवानिवृत्ति, विलय, अलगाव या अन्य कारण से हो, जिससे व्यवसाय करने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति न हो जिसका नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र पर था, तो ऐसे परिवर्तन के साठ दिन के भीतर उप-नियम (1) के तहत नई आवेदन देनी होगी, और मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र तब तक मान्य रहेगा जब तक नई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाती या साठ दिनों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।
- (14) **डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र** — जब पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाए, नष्ट हो जाए, खराब हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो धारक इसका डुप्लीकेट आवेदन कर सकता है और अनुसूची IV में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करके इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसी पंजीकरण संख्या के साथ जारी किया जाएगा और 'DUPLICATE' अंकित होगा।
- (15) **समर्पण और पंजीकरण रद्द करना** —
 - (क) कोई धारक जो निर्माता, मरम्मत करने वाले या विक्रेता के रूप में व्यापार बंद कर देता है, या बंद करने का इरादा रखता है, वह इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित करेगा।
 - (ख) अगर नियंत्रक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आवेदनकर्ता के खिलाफ अधिनियम या इन नियमों के तहत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और उससे कोई राशि बकाया नहीं है, तो वे पंजीकरण रद्द करने का रिकॉर्ड करेंगे और इसे उप-नियम (16) के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कराएंगे।
 - (ग) पंजीकरण प्रमाणपत्र का समर्पण किसी भी कार्यवाही, जांच, अभियोजन या अधिनियम या इन नियमों के तहत जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं करेगा, जो समर्पण से पहले किया गया

या छोड़ा गया हो, और ऐसी हर कार्यवाही का आरंभ या जारी रहना ऐसा होगा, मानो पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित ही नहीं किया गया हो।

- (16) **पंजीकृत व्यक्तियों का रजिस्टर**—नियंत्रक या वह अन्य अधिकारी जिसे इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत निर्माता, मरम्मत करने वालों और विक्रेताओं का रजिस्टर बनाएगा जैसा कि अनुसूची V में निर्धारित है, और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण संख्या, नाम, श्रेणी और मुख्य व्यवसाय स्थान तथा उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र की वर्तमान स्थिति प्रकाशित करेगा।
- (17) **सामान्य निरीक्षण**—निरीक्षण या तो सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडम आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से चुने गए मामलों के आधार पर किया जाएगा या फिर विश्वसनीय स्रोतों से मिली शिकायतों के आधार पर।

4. नियम 12 का प्रतिस्थापन—मूल नियमों में, नियम 12 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“12. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन और रद्दीकरण।”

- (1) **जाँच के दौरान निलंबन**—नियंत्रक या वह अन्य अधिकारी जिसे इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, यदि उसे यह उचित कारण हो कि किसी भी पंजीकरण प्रमाणपत्र के धारक ने जो प्रमाणपत्र जारी करने या जारी रखने के लिए आवेदन किया है, उसमें या उसके संबंध में कोई भी विवरण महत्वपूर्ण रूप से गलत या झूठा दिया है, या उसने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह धारक के खिलाफ पूछताछ पूरी होने तक उस पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकता है: शर्त यह है कि इस उप-नियम के तहत कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ अपनी सफाई पेश करने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।
- (2) **बिना पूर्व सूचना निलंबन**—उप-नियम (1) की उप-धारा की शर्तों के बावजूद, यदि नियंत्रक यह संतुष्ट हो कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी उल्लंघन की निरंतरता को रोकने या उपभोक्ताओं को चोट या हानि से बचाने के लिए, तो वह, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, बिना पूर्व सूचना के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर सकता है, और —
- (क) आदेश की एक प्रति, साथ में दर्ज कारणों के, तत्काल और किसी भी स्थिति में तीन दिनों के भीतर धारक को भेजी जाएगी;
- (ख) धारक को आदेश की सेवा की तारीख से सात दिनों के भीतर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा; और
- (ग) नियंत्रक सुनवाई की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर, एक स्पष्ट आदेश द्वारा, निलंबन के आदेश की पुष्टि, संशोधन या रद्द कर सकता है, और यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाता है, तो निलंबन स्वतः समाप्त माना जाएगा।
- (3) **निलंबन की अवधि** — जहां उप-नियम (1) में संदर्भित जांच निलंबन की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो उक्त अवधि समाप्त होने पर वह निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा: बशर्ते कि जहां नियंत्रक यह संतुष्ट हो कि यह जांच उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं की जा सकती थी, और इसके लिए जिम्मेदार पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक है, वह लिखित में कारण दर्ज करके और धारक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, निलंबन की अवधि एक ही बार के लिए, तीन महीने से अधिक न होने वाली आगे की अवधि तक बढ़ा सकता है।
- (4) **रद्द करना** — नियंत्रक या वह अन्य अधिकारी जिसे वह इस संबंध में अधिकृत कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि उप-नियम (5) में उल्लिखित किसी भी आधार का अस्तित्व है, तो वह पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है: शर्त यह है कि कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया हो।
- (5) **रद्द करने के आधार** — किसी पंजीकरण प्रमाणपत्र को उप-नियम (4) के तहत निम्नलिखित आधारों पर रद्द किया जा सकता है, जैसे कि: —
- (क) कि धारक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या जारी रखने के आवेदन में या उसके संबंध में कोई बयान दिया है, जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य में झूठा या गलत है;
- (ख) कि धारक ने अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश, या पंजीकरण प्रमाणपत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया है;
- (ग) कि धारक उप-नियम (7) नियम 11 के अनुसार दो लगातार तिमाहियों के लिए आवश्यक रिटर्न दाखिल करने में असफल रहा।

- (6) आदेश मुखर आदेश के रूप में होना चाहिए—इस नियम के तहत हर निलंबन या रद्दीकरण का आदेश मुखर आदेश के रूप में होना चाहिए, उसमें उस पर आधारित आधार और पहुँचाई गई निष्कर्ष के कारण बताए जाने चाहिए, यह धारक को उसके तारीख के सात दिनों के भीतर संप्रेषित किया जाना चाहिए, और इसमें वह प्राधिकरण और समय सीमा दर्ज करनी चाहिए जिसके तहत और भीतर अपील की जा सकती है, नियम 12 A के अनुसार।
- (7) निलंबन का प्रभाव—प्रत्येक व्यक्ति जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है, निलंबन आदेश की तामिल होते ही विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या विक्रेता के रूप में अपना व्यवसाय तुरंत बंद कर देंगे एवं निलंबन आदेश रद्द होने या निरस्त होने तक अपना व्यवसाय पुनः शुरू नहीं करेंगे।
- (8) निलंबन या रद्द होने पर समर्पण— हर पंजीकृत निर्माता, मरम्मत करने वाला या विक्रेता जिसकी पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द कर दी गई है, ऐसे निलंबन या रद्द होने के तुरंत बाद, उस प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंप देगा जिसने इसे जारी किया था।
- (9) रद्दीकरण पर स्टॉक का निपटान—
 - (क) हर पंजीकृत निर्माता, मरम्मत करने वाला या विक्रेता जिसकी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दी गई हो, उसे उस रद्दीकरण की तारीख से तीस दिनों के भीतर, या इतनी अतिरिक्त अवधि में, जो उस तारीख से तीन महीने से अधिक न हो, और जिसे नियंत्रक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारण दिखाने पर अनुमति दे सकता है, अपने पास, अभिरक्षा या नियंत्रण में रहे बाट या माप का निपटान करना होगा।
 - (ख) यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत कोई भी अधिकारी इसे जब्त कर सकता है और नियंत्रक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से निर्देशित तरीके से इसका निपटान कर सकता है, और इस जब्ती और निपटान के खर्च और उस व्यक्ति की अधिनियम या इन नियमों के तहत देय कोई भी राशि घटाने के बाद, शेष राशि उस व्यक्ति को भुगतान करनी होगी।

5. नया नियम 12A का समावेश—मूल नियमों में, नियम 12 के बाद, जो इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है, निम्नलिखित नियम डाला जाएगा, यानी: —

“12A. अपील — (1) नियम 11 या नियम 12 के तहत दिए गए आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार अपील कर सकता है। अपील करने वाले व्यक्ति को अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील करनी होगी। इसके लिए मूल नियम की अनुसूची X में दिए गए फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा और साथ में उस आदेश की कॉपी और मूल नियम के नियम 26 के उप-नियम (2) में बताई गई फीस भी जमा करनी होगी।

“हर अपील का नतीजा नियम 11 के उप-नियम (16) के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।”

स्पष्टीकरण:— अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण — इनके आदेश के खिलाफ अपील के लिए अपीलीय प्राधिकरण ये होंगे:

- (क) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के आदेश के लिए—सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान।
- (ख) सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के आदेश के लिए—उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान।
- (ग) उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के आदेश के लिए—नियंत्रक विधिक माप विज्ञान।
- (घ) संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के आदेश के लिए— नियंत्रक विधिक माप विज्ञान।
- (ड.) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के आदेश के लिए—प्रधान सचिव, कृषि/सचिव, कृषि/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यालय।

6. नियम 13 का प्रतिस्थापन:—मूल नियम 13 में “Licensed” शब्द के स्थान पर “Registered” शब्द रखा जाएगा।

7. नियम 14 को बदलना:—मूल नियमों में, नियम 14 की जगह निम्नलिखित नियम लगेगा, यानी: —

14. बाट और माप की जांच के लिए समय—समय पर अंतराल — बाट और माप की जांच के लिए समय—समय पर अंतराल वैसा ही होगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 52 के तहत समय—समय पर संशोधित किए गए विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में बताया गया है।

8. नियम 20 में संशोधन:—मूल नियमों में, नियम 20 के उप-नियम (3) में, शब्द “Licensed” के स्थान पर “Registered” शब्द को रखा जाएगा।

9. नियम 27 का प्रतिस्थापन:—मूल नियमों में, नियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम लागू होगा, यानी: —

“27. अपराधों के निपटान के लिए राशि—उस राशि का भुगतान करने पर जो अपराध को अधिनियम की धारा 48 के तहत निपटाया जा सकता है, उसे अनुसूची XI में निर्दिष्ट किया गया है।

10. संक्रमणकालीन प्रावधान और संरक्षण:—

- (1) जो कोई भी लाइसेंस मूल नियमों के नियम 11 के तहत प्रदान किया गया था और इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले मौजूद था, वह इन नियमों के लागू होने के समय, ऐसी स्थिति में, मूल नियमों के नियम 11 के तहत जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा, जैसा कि इन नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, और यह बिना नवीनीकरण के लागू रहेगा, मूल नियमों के नियम 12 के अनुसार जैसा कि प्रतिस्थापित किया गया है।
- (2) जो कोई भी लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए आवेदन इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले शुल्क के भुगतान के बाद लंबित था, उसे प्रतिस्थापित मूल नियमों के नियम 11 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के रूप में निपटाया जाएगा, और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
- (3) यदि किसी लाइसेंस की वैधता की अवधि के संबंध में कोई शुल्क ऐसे समय तक भुगतान किया गया है जो इन नियमों के लागू होने की तारीख से आगे बढ़ जाता है, तो केवल इन नियमों द्वारा की गई प्रतिस्थापन के कारण उस शुल्क की कोई वापसी दावा नहीं की जा सकती।
- (4) मूल नियमों के तहत प्रदान किया गया और इन नियमों की शुरुआत से ठीक पहले मौजूद हर सुरक्षा जमा को प्रधान नियमों के नियम 11 की उप-नियम (10) के तहत प्रदान किया गया माना जाएगा जैसा कि इसे प्रतिस्थापित किया गया है।
- (5) हर जाँच, कार्यवाही, अपील, अभियोजन या सौदेबाजी के लिए कार्यवाही जो इन नियमों की शुरुआत से ठीक पहले लंबित थी, उसे जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा जैसे कि ये नियम बनाए ही नहीं गए हों; और किसी भी अपराध के संबंध में कोई भी जुर्माना, जप्ती या सजा जो इस तरह की शुरुआत से पहले हुई हो, उन नियमों से प्रभावित नहीं होगी।
- (6) मूल नियमों के तहत ठीक पहले रखे गए हर रजिस्टर को तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक प्रधान नियमों के नियम 11 की उप-नियम (16) में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर का उपयोग शुरू नहीं हो जाता, और पहले वाले रजिस्टर के प्रविष्टियाँ बाद वाले में स्थानांतरित कर दी जाएँगी।
- (7) जो व्यक्ति, इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले, वैध लाइसेंस के तहत निर्माता, मरम्मतकर्ता या विक्रेता के रूप में व्यवसाय कर रहा था, उसे नया आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उसे मूल नियमों के नियम 11 की उप-नियम (2) के तहत उसके मौजूदा लाइसेंस नंबर वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए।

11. अनुसूची II-A का प्रतिस्थापन और अनुसूची II-B का विलोपन:—(1) मूल नियमों में, अनुसूची

II-A की जगह निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात: —

अनुसूची II
{देखें नियम 11(1)}
फॉर्म RM/RR/RD-1

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत बाट और माप के निर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक/इस संबंध में अधिकृत अधिकारी, बिहार सरकार।

क्रमांक	विवरण	आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है
1	निर्माण करने वाले व्यवसाय का नाम (निर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता)	
2	व्यवसाय का पूरा पता, पिन कोड के साथ (निर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता)	
3	मालिक/साझेदार/मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम और पता, पिता/माता/पति या पत्नी का नाम सहित, जैसा लागू हो (निर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता)	
4	पैन नंबर (PAN) (निर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता)	
5	सामान और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN), यदि कोई हो (निर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता)	
6	निर्माण किए जाने वाले बाट और माप के प्रकार और श्रेणी – (क) बाट; (ख) माप; (ग) बाट मापने वाले उपकरण; (घ) मापने वाले उपकरण—प्रत्येक में विवरण सहित (निर्माता)	
7	निर्माण किए जाने वाले बाट और माप पर अंकित करने के लिए प्रस्तावित मोनोग्राम या ट्रेडमार्क (निर्माता)	
8	अधिनियम की धारा 22 के तहत प्राप्त मॉडल अनुमोदन का विवरण, जहां लागू हो (निर्माता)	
9	क्या आवेदक ने पहले इस राज्य या अन्यत्र किसी निर्माता पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; यदि हाँ, तो विवरण और परिणाम (निर्माता)	
10	जिन बाट और माप के यंत्रों की मरम्मत का प्रस्ताव है, उसका प्रकार (मरम्मतकर्ता)	
11	बिहार राज्य के वे क्षेत्र जिनमें आवेदक संचालन करना चाहता है (नियम 11 की उप-नियम (4) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा) (मरम्मतकर्ता)	
12	इस क्षेत्र में पूर्व का अनुभव (मरम्मतकर्ता)	
13	रखे गए मानक और परीक्षण बाट का विवरण (मरम्मतकर्ता)	
14	रूल 11 की उप-रूल (10) के तहत जमा कराई गई सुरक्षा राशि का विवरण (मरम्मतकर्ता)	
15	क्या आवेदक ने पहले इस राज्य या अन्यत्र मरम्मतकर्ता का पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; यदि हाँ, तो विवरण और परिणाम (मरम्मतकर्ता)	
16	बेचे जाने वाले या बेचे जाने प्रस्तावित बाट और माप के प्रकार (विक्रेता)	
17	क्या आवेदक ने पहले इस राज्य या कहीं और डीलर का पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; यदि हाँ, तो विवरण और परिणाम (विक्रेता)	

आवेदक द्वारा घोषणा—

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि —

- ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सटीक है, और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं छुपाई गई है;
- मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और बिहार विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2014 पढ़े हैं, और उनसे तथा अनुसूची III में दी गई पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं;

3. मैं/हम यह जानते हैं कि अगर कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी घोषणा के आधार पर प्राप्त किया गया जो किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य में झूठी हो, तो वह शुरू से ही शून्य होगा, और इसके कारण मैं/हम अधिनियम की धारा 41 और नियम 12 के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे; और
4. मैं/हम उपरोक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर देंगे, जैसा कि नियम 11 की उप-नियम (13) में कहा गया है।

स्थान: _____

तारीख: _____

**आवेदक का हस्ताक्षर, नाम और
पद के साथ**

कार्यालय उपयोग के लिए (सिस्टम द्वारा जेनरेट किया गया रिकॉर्ड का बैकएंड में संग्रहण)

आवेदन संदर्भ संख्या: _____ प्राप्ति की तारीख और समय: _____ भुगतान की गई

शुल्क: ₹ _____ चालान / लेनदेन संदर्भ: _____ पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की

तारीख: _____ पंजीकरण संख्या: _____ नियम 11 के उप-नियम (6) के तहत

छानबीन पूरी होने की तारीख: _____ छानबीन पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो:

12. अनुसूची III का प्रतिस्थापन

मूल नियमों में, अनुसूची III के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

अर्थात: —

अनुसूची III

{देखें नियम 11(2) और नियम 11(5)}

फॉर्म RM/RR/RD-3

बिहार सरकार — विधिक माप विज्ञान के नियंत्रक का कार्यालय

**बाट, माप, तौलन यंत्र या मापन यंत्र बनाने के लिए निर्माता/मरम्मत हेतु मरम्मतकर्ता/ब्रिकी हेतु
विक्रेता पंजीकरण प्रमाण पत्र**

पंजीकरण संख्या: _____

जारी करने की तिथि: _____

1. विधिक माप विज्ञान के नियंत्रक द्वारा _____ (पक्ष का नाम और पता) को निम्नलिखित बाट, माप, तौलन उपकरण या मापन उपकरण का निर्माता/मरम्मत हेतु मरम्मतकर्ता/ब्रिकी हेतु विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया जाता है: _____
2. यह तौलन पंजीकरण प्रमाण पत्र उस कार्यशाला के लिए मान्य है जो पक्ष के स्थान पर स्थित है _____ और यह बिहार राज्य में पूरे राज्य में मान्य है।
3. यह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे नियम 12 के तहत निलंबित, रद्द या समर्पित नहीं किया जाता।
4. निर्माता द्वारा उपयोग किया गया ट्रेडमार्क या मोनोग्राम है: _____
5. धारक को नीचे दिए गए शर्तों का पालन करना होगा। इनमें से किसी का भी पालन न करने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र नियम 12 के तहत निलंबन या रद्द करने के लिए जिम्मेदार होगा।
6. पार्टी बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बाट, माप, तौलन उपकरण और मापन उपकरण की मरम्मत के लिए पंजीकृत है: _____

**डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक, बिहार सरकार**

ध्यान दें — किसी फर्म के मामले में, उसका नाम और व्यवसाय में किसी भी रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के नाम को पैरा 1 के खिलाफ दर्ज किया जाएगा।

पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें (विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता)

जिस व्यक्ति के पक्ष में यह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वह —

- (क) अधिनियम और वर्तमान में लागू नियमों की सभी प्रासंगिक व्यवस्थाओं का पालन करेगा (विनिर्माता/मरम्मतिकर्ता/विक्रेता) ;
- (ख) अधिनियम या नियमों के किसी भी उल्लंघन को प्रोत्साहित या सहमति नहीं देगा (विनिर्माता/मरम्मतिकर्ता/विक्रेता) ;
- (ग) इस पंजीकरण प्रमाणपत्र को संबंधित परिसरों के एक स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करेगा (विनिर्माता/मरम्मतिकर्ता/विक्रेता) ;
- (घ) अधिनियम या इन नियमों के तहत नियंत्रक द्वारा दिए गए किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश का पालन करेगा (विनिर्माता/मरम्मतिकर्ता/विक्रेता) ;
- (ङ) व्यवसाय बंद होने, या इसके निलंबन या रद्द होने की स्थिति में इस पंजीकरण प्रमाण पत्र को सौंपना (विनिर्माता/मरम्मतिकर्ता/विक्रेता);
- (च) हर बाट, माप, तौलन यंत्र या मापक यंत्र जो उसने बनाया है और राज्य में उपयोग के लिए है, को बिक्री से पहले सत्यापन और मोहर लगाने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के पास प्रस्तुत करना (विनिर्माता);
- (छ) अपने आवेदन में घोषित कार्यशाला, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपकरण और परीक्षण सुविधाओं को प्रदान करना और बनाए रखना, और नियम 11 के उप-नियम (13) के तहत इसमें किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना देना (विनिर्माता)।
- (ज) अनुसूची VII में निर्धारित फॉर्म RM-4 में रजिस्टर बनाए रखना और अनुसूची VII-A में निर्धारित फॉर्म QR-1 में त्रैमासिक रिटर्न जमा करना (विनिर्माता)।
- (झ) जब वह नियम 11 के उप-नियम (1) की उपस्थिति के तहत किसी अन्य राज्य में बने बाट या माप की मरम्मत करता है, तो इस पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित परिसर पर क्षेत्राधिकार रखने वाले विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पूर्व में सूचित करना (विनिर्माता)।
- (ञ) नियम 14 में निर्दिष्ट अंतरालों पर उपयोगकर्ता को सौंपने से पहले, उसके द्वारा मरम्मत किए गए प्रत्येक बाट, माप, उपकरण को सत्यापन और मुहर लगाने के लिए विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना (मरम्मतिकर्ता)
- (ट) यदि बाट-माप उपकरण की सर्विसिंग या मरम्मत उसके सत्यापन तिथि से पहले की जाती है और इस प्रक्रिया में विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी की सत्यापन मुहर विकृत, हटाई या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसे विधिवता मरम्मत करके उपयोगकर्ता को सौंपने से पहले पुनः सत्यापन एवं मुहरांकन के लिए विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी को प्रस्तुत कर (मरम्मतिकर्ता)।
- (ठ) अपने आवेदन में घोषित मानक एवं परीक्षण बाट, औजारों और उपकरणों को रखना एवं अच्छी स्थिति में बनाए रखना (मरम्मतिकर्ता)।
- (ड) अनुसूची VII में दिए गए प्रपत्र RR-4 में रजिस्टर बनाए रखना और अनुसूची VII-A में दिए गए प्रपत्र QR-1 में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करना (मरम्मतिकर्ता)।
- (ढ) किसी भी गैर मानक या असत्यापित वजन या माप को बेचना या बिक्री के लिए पेश करना, प्रदर्शित करना या अपने पास रखना (विक्रेता)।
- (ण) अनुसूची VII में दिए गए प्रपत्र RD-4 में रजिस्टर बनाए रखना और अनुसूची VII-A में दिए गए प्रपत्र QR-1 में त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करना (विक्रेता)।

13. अनुसूची IV का प्रतिस्थापन:—मूल नियमों में, अनुसूची IV के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

अनुसूची IV
{देखें नियम 11(1), नियम 11(13) और नियम 11(14)}
पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क

पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना:	शुल्क
1. निर्माता	₹30000 /—
2. मरम्मत करने वाला	₹20000 /—
3. डीलर शुल्क	₹20000 /—

अन्य शुल्क

आइटम	शुल्क
नियम 11(13) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र में बदलाव	₹ 1000
नियम 11(14) के तहत डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना	₹ 500

यहां कोई अपील शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। मुख्य नियमों के नियम 26 के उप-नियम (2) में पहले ही राज्य सरकार को अपील के लिए ₹500 और नियंत्रक को अपील के लिए ₹200 निर्धारित किया गया है, और अनुसूची X रूप निर्धारित करती है। नियम 12A दोनों की ओर संकेत करता है।

नोट्स:— इस अनुसूची के तहत हर शुल्क को नियम 11 के उप-नियम (1) के तहत सूचित पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा, और इसे राज्य के समेकित कोष में जमा किया जाएगा।

14. अनुसूची V का प्रतिस्थापन:—मूल नियमों में, अनुसूची V के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

अनुसूची V
{देखें नियम 11(16)}

बाट, माप, तौलन यंत्र और मापन यंत्रों के पंजीकृत निर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं और विक्रेताओं का पंजीकरण

कार्यालय -----

कॉलम	विवरण
1	पंजीकरण संख्या
2	जारी करने की तारीख
3	श्रेणी (निर्माता/मरम्मत करने वाला/विक्रेता) और अनुसूची-IV के तहत शुल्क श्रेणी
4	निर्माता, मरम्मत करने वाले या विक्रेता का नाम और पूरा पता
5	कार्यशाला, फैक्ट्री या परिसर का स्थान
6	मरम्मत करने वाले के मामले में नियम 11(4) के तहत निर्दिष्ट संचालन क्षेत्र
7	उत्पादन, मरम्मत या बिक्री के लिए वस्त्र
8	उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क या मोनोग्राम
9	जमा किए गए सुरक्षा जमा का विवरण, और किसी भी जब्ती या वापसी का विवरण
10	अधिनियम की धारा 15(6) के तहत जारी सुधार नोटिस का विवरण
11	निलंबन के आदेश का विवरण, प्रारंभ और समाप्ति तिथियों सहित
12	रद्द करने के आदेश का विवरण
13	नियम 12A के तहत किसी अपील का परिणाम, यदि कोई हो
14	नियम 11(13) के तहत परिवर्तन या नियम 11(15) के तहत पंजीकरण रद्द करने का विवरण
15	सक्षम प्राधिकरण का हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर
16	टिप्पणियाँ

नोट्स — (i) कॉलम 5 विक्रेताओं पर लागू नहीं होता। (ii) कॉलम 6 और 9 केवल मरम्मत करने वालों पर लागू होते हैं। (iii) कॉलम 8 मरम्मत करने वालों और विक्रेताओं पर लागू नहीं होता। (iv) यह रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा।

15. अनुसूची VI का प्रतिस्थापन:—मूल नियमों में, अनुसूची VI की जगह निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

अनुसूची VI

{नियम 11(10) देखें}

पंजीकृत मरम्मतकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि

बाट और माप उपकरणों सहित उपकरणों के मरम्मतकर्ता	₹ 1000
--	--------

(मूल नियमों की अनुसूची VI में मौजूद राशि ₹200 है। विभागीय प्रस्ताव में ₹1,000 प्रस्तावित किया गया है।)

नोट्स:

1. सुरक्षा राशि ऑनलाइन मोड में नियंत्रक के पक्ष में जमा की जा सकती है।
2. किसी भी सुरक्षा जमा पर राज्य सरकार कोई ब्याज नहीं देगी।
3. सुरक्षा राशि नियम 11 के उप-नियम (10) की धारा (ख) के अनुसार जब्त की जा सकती है।

16. अनुसूची VII का प्रतिस्थापन:—मूल नियमों में, अनुसूची VII के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात: —

अनुसूची VII

{नियम 13 देखें}

फॉर्म RM-4

बाट और माप के निर्माता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

निर्माता का नाम और पता: _____

पंजीकरण संख्या: _____

जारी करने की तारीख: _____

पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करने वाले किसी भी आदेश का विवरण: _____

बाट या माप का विवरण: _____

कॉलम	विवरण
1	क्रम संख्या
2	माह
3	पिछले महीने से लाया गया अविक्रीत स्टॉक
4	महीने के दौरान निर्मित मात्रा
5	कुल (3 + 4)
6	राज्य के भीतर बिक्री — बेची गई आइटम की संख्या
7	राज्य के भीतर बिक्री — डिस्पैच वाउचर नंबर और तिथि
8	राज्य के बाहर बिक्री —राज्य का नाम
9	राज्य के बाहर बिक्री — बेची गई आइटम की संख्या
10	राज्य के बाहर बिक्री - डिस्पैच वाउचर नंबर और तिथि
11	कुल बिक्री (6 + 9)
12	शेष (5 - 11)
13	टिप्पणियाँ

फॉर्म RR-4

बाट और माप के मरम्मत करने वाले द्वारा रखी जाने वाली रजिस्टर

मरम्मत करने वाले का नाम और पता: _____

पंजीकरण संख्या: _____

जारी करने की तारीख: _____

किसी भी आदेश का विवरण जो पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करता है: _____

कॉलम	विवरण
1	क्रम संख्या
2	प्राप्ति की तारीख
3	प्राप्तकर्ता का नाम और पता
4	मरम्मत के लिए बुक किए गए आइटम और उनकी संख्या
5	प्राप्ति संख्या और उपयोगकर्ता को जारी करने की तारीख
6	मरम्मत शुल्क की राशि
7	सत्यापन शुल्क की राशि
8	कुल चार्ज की गई राशि
9	सत्यापन और मोहर लगाने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पेश करने की तारीख
10	उपयोगकर्ता को वापसी की तारीख
11	टिप्पणियाँ

फॉर्म RD-4

बाट और माप के विक्रेता द्वारा रखी जाने वाली रजिस्टर

डीलर का नाम और पता: _____

पंजीकरण संख्या: _____

जारी करने की तारीख: _____

कोई भी आदेश जो पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द करता है, उसका विवरण: _____

बाट या माप का विवरण और श्रेणी: _____

कॉलम	विवरण
1	क्रमांक
2	माह
3	पिछले माह से लाया गया अप्रबंधित स्टॉक
4	इस माह के दौरान राज्य के अंदर से लाया गया
5	इस माह के दौरान राज्य के बाहर से लाया गया
6	कुल (3 + 4 + 5)
7	राज्य के अंदर बेचा गया - बेचे गए आइटम की संख्या
8	राज्य के अंदर बेचा गया - डिस्पैच वाउचर नंबर और तारीख
9	राज्य के बाहर बेचा गया - राज्य का नाम
10	राज्य के बाहर बेचा गया - बेचे गए आइटम की संख्या
11	राज्य के बाहर बेचा गया - डिस्पैच वाउचर नंबर और तारीख
13	कुल बेचा गया (7 + 10)
13	शेष (6 - 12)
14	टिप्पणी

17. अनुसूची VII-A का समावेश:- मूल नियमों में, अनुसूची VII के बाद, निम्नलिखित अनुसूची को जोड़ा जाएगा, अर्थात: -

अनुसूची VII-A
[नियम 11(7) देखें]

फॉर्म QR-1

पंजीकृत निर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यापारी द्वारा त्रैमासिक रिटर्न जमा करना
त्रैमासिक समाप्ति: -----
पंजीकरण संख्या: -----
पंजीकृत व्यक्ति का नाम और पता: -----
श्रेणी: निर्माता/मरम्मतकर्ता/विक्रेता

क्रम सं०	विवरण	प्रस्तुत करने के लिए
1	तिमाही की शुरुआत में बाट और माप की ओपनिंग स्टॉक	
2	तिमाही के दौरान निर्मित, मरम्मत किए गए या अर्जित किए गए मात्रा, श्रेणी के अनुसार	
3	तिमाही के दौरान राज्य के भीतर बेची गई या डिलीवर की गई मात्रा	
4	तिमाही के दौरान राज्य के बाहर बेची गई, मरम्मत की गई या डिलीवर की गई मात्रा, राज्यों के नाम के साथ तिमाही के अंत में क्लोजिंग स्टॉक	
5	त्रैमास की समाप्ति पर अंतिम स्टॉक	
6	तिमाही के दौरान सत्यापन और स्टैम्पिंग के लिए प्रस्तुत किए गए यंत्रों की संख्या, और जिनकी जांच की गई	
7	पंजीकरण के लिए आवेदन में दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव का विवरण, और क्या इसे नियम 11(13) के तहत सूचित किया गया	
8	तिमाही के दौरान किसी भी सुधार नोटिस का विवरण और उस पर की गई कार्रवाई	

घोषणा—

मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस रिटर्न में दिए गए विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सटीक हैं, और कि मुझे/हमें यह पता है कि कोई भी रिटर्न जो किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में झूठा हो, अधिनियम की धारा 41 को लागू करता है।

स्थान: -----

तिथि: -----

पंजीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

18. अनुसूची XI का प्रतिस्थापन:—मूल नियमों में, अनुसूची XI की जगह निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा: —

अनुसूची XI
{नियम 27 देखें}
अपराधों के शमन के लिए राशि

क्रमांक	उल्लंघन का प्रकार	दंडात्मक धारा	पहला अपराध	दूसरा अपराध
1	S.8(3) किसी बाट या माप का उपयोग या उसके उपयोग के लिए रखना, या किसी गणना का उपयोग, अधिनियम द्वारा या अधिनियम के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार नहीं करने पर	धारा 25	सुधार नोटिस	₹10,000
2	S.26 किसी भी निर्देश, द्वितीयक या कार्यकारी मानक, या किसी भी बाट या माप में धोखा देने के इरादे से बदलाव या छेड़छाड़ करना	26	₹25,000	₹50,000
3	S.8(4) ऐसे किसी भी बाट या माप का निर्माण या बिक्री करना जो अधिनियम के तहत बने नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुसार न हो	27	सुधार नोटिस	₹20,000
4	S.10 किसी भी लेन-देन, सौदे या अनुबंध को तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न होना	28	सुधार नोटिस	₹10,000
5	S.11 किसी भी मूल्य, मूल्य सूची या विज्ञापन को मानक इकाइयों के अनुसार न प्रदर्शित, घोषित करना या जारी करना	29	सुधार नोटिस	₹10,000
6	S.12 किसी भी वस्तु, चीज या सेवा को अनुबंध या भुगतान की गई मात्रा से ज्यादा या कम देना, लेना या प्रदान करना	30	₹5,000	₹10,000
7	S.17 रिटर्न जमा न करना, या कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, बाट, माप या दस्तावेज़ बनाए रखने या प्रस्तुत न करने पर	31	सुधार नोटिस	₹10,000
8	S.24 असत्यापित बाट एवं माप का किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए किया जाना	33	₹2,500	₹5,000
9	S.33 असत्यापित बाट एवं माप का बिक्री, वितरण	33	₹5,000	₹7,500
10	S.34 किसी भी वस्तु, सामान या चीज की बिक्री या वितरण मानक बाट, माप या संख्या के अलावा किसी अन्य माध्यम से करना	34	सुधार नोटिस	₹10,000
11	S.35 किसी भी सेवा को गैर-मानक बाट, माप या संख्या के माध्यम से देना	35	सुधार नोटिस	₹10,000
12	S.18(1) किसी प्री-पैकेज्ड वस्तु का निर्माण, पैकिंग, आयात, बिक्री या वितरण, डिजिटल माध्यम सहित, जो आवश्यक घोषणाओं के अनुरूप नहीं हो	36(1)	सुधार नोटिस	निर्माता ₹25,000; डीलर ₹10,000
13	S.18(2) किसी प्री-पैकेज्ड वस्तु का निर्माण, पैकिंग या आयात जिसमें शुद्ध मात्रा में नियम में निर्धारित सीमा से अधिक त्रुटि हो	36(2)	₹15,000	₹25,000
14	S.24 किसी सरकारी अनुमोदित परिक्षण केन्द्र द्वारा नियम/ अधिनियम या उसके लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन	37(1)	₹25,000	₹50,000
15	S.41 झूठी जानकारी देना, या रिटर्न जमा करना या किसी रिकॉर्ड या रजिस्टर में किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु में झूठा विवरण रखना	41	सुधार नोटिस	₹2,500
16	S.23 किसी भी बाट या माप का निर्माण बिना वैध पंजीकरण के करना	45	सुधार नोटिस	₹10,000
17	S.23 बिना वैध पंजीकरण के किसी भी बाट या माप की मरम्मत या बिक्री करना, या मरम्मत या बिक्री के लिए पेश करना, रखे रहना या प्रदर्शन	46	सुधार नोटिस	₹2,500

	करना			
18	S.47 पंजीकरण प्रमाणपत्र में बदलाव या छेड़छाड़	47	सुधार नोटिस	₹10,000
19	S.53(3) अधिनियम के तहत बने किसी नियम का उल्लंघन	धारा 53(3)	₹2,500	₹5,000

नोट्स:-

1. इस अनुसूची में निर्दिष्ट राशियाँ तय की गई राशियाँ हैं, न्यूनतम राशि नहीं, और कोई भी अधिकारी जो समझौता करने का अधिकार रखता है, निर्दिष्ट राशि के अलावा कोई राशि मांग या स्वीकार नहीं कर सकता।
2. इस अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी राशि उस अपराध के लिए अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला अधिकतम जुर्माना से अधिक नहीं होगी;
3. जहां अधिनियम यह प्रावधान करता है कि पहली उल्लंघन पर सुधार नोटिस जारी किया जाएगा, वहाँ पहली उल्लंघन पर जुर्माना योग्य कोई अपराध उत्पन्न नहीं होता और इसलिए समझौता करने के लिए कुछ नहीं है;
4. यह निर्धारित करते समय कि कोई उल्लंघन पहला, दूसरा या तीसरा है, केवल उसी खंड के उल्लंघन जो उसी व्यक्ति ने किए हों, उन्हें ही ध्यान में रखा जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से,
नर्मदेश्वर लाल,
प्रधान सचिव।

The 6th October 2026

No. W & M (Central Lab)-17/2026/539—Whereas the State Government hereby make the following Rules as required by sec.53 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) to further amend the Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014, namely:-

1. Short title, extent and commencement

- (1) These rules may be called the Bihar Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2026.
- (2) They extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of rule 2:—In the Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: —

"2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) **"Act"** means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);
- (b) **"portal"** means the electronic portal notified by the Controller under sub-rule (1) of rule 11 for the making of applications, the payment of fees, the issue of registration certificates, the furnishing of returns and the maintenance of the register under these rules;
- (c) **"Reference Standards Laboratory"** means a laboratory set up by the Central Government under the Act, where Reference Standards, Secondary Standards and Working Standards are maintained;
- (d) **"registering authority"** means the Controller of Legal Metrology appointed under section 14 of the Act, and includes any other officer authorised by the Controller in this behalf under sub-rule (1) of rule 11, acting within the limits of and subject to the conditions of such authorisation; and a registration certificate issued by an officer so

authorised shall be deemed to be a registration certificate issued by the Controller under sub-section (2) of section 23 of the Act;

- (e) **"Registration certificate"** means a registration certificate issued under sub-section (2) of section 23 of the Act and rule 11;
- (f) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;
- (g) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

"Rule 2 of the principal rules contains no definition of "licensing authority" or of any cognate expression, and no provision of the principal rules cross-refers to a lettered clause of rule 2. Substitution in full is therefore free of consequential effect and is preferred to insertion and re-lettering.

3. Substitution of rule 11: —In the principal rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely

"11. Registration of manufacturers, repairers and dealers in weights and measures.

- (1) **Application.**—Every manufacturer or repairer of, or dealer in, any weight or measure shall, before commencing such manufacture, repair or dealer make an application for the issue of a registration certificate to the Controller or such other officer as may be authorised by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule II, through the electronic portal notified by the Controller for this purpose, accompanied by —
 - (a) the self-declaration contained in the said form;
 - (b) the documents specified in the said form; and
 - (c) the fee specified in Schedule IV, which shall not be refundable.

Provided that no registration certificate to repair shall be required by a manufacturer for repair of his own weight or measure in a State other than the State of manufacture of the same:

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that a person who himself adjusts, cleans, lubricates or paints a weight or measure owned by him and used exclusively by him, and who does not render any such service to any other person for consideration or otherwise, shall not, by reason only of such act, be regarded as carrying on the business of a repairer for the purposes of these rules; and nothing in this Explanation shall be construed as affecting the operation of section 23 of the Act.

- (2) **Issue of registration certificate.** — On receipt of a complete application under sub-rule (1) and on realisation of the fee, a registration certificate in the appropriate form set out in Schedule III shall be auto generated electronically and no prior inspection of the premises shall be required for the grant thereof.
 - (a) Every registration certificate so generated shall bear a unique registration number and the digital signature of the Controller or of the officer authorised by him under sub-rule (1).
 - (b) Every registration certificate generated under this sub-rule shall be deemed to be a registration certificate issued by the Controller under sub-section (2) of section 23 of the Act.
- (3) **Period of validity.**—A registration certificate issued under sub-rule (2) shall be perpetual and remain in force from the date of its issue until it is

- suspended, cancelled or surrendered under rule 12, and no renewal thereof shall be required.
- (4) **Area of jurisdiction.**—A registration certificate issued to a manufacturer or to a dealer shall be valid throughout the State of Bihar; and a registration certificate issued to a repairer shall be valid in respect of such areas within the State as may be specified therein.
 - (5) **Conditions.**—Every registration certificate shall be subject to the conditions set out in Schedule III.
 - (6) **Scrutiny of application.**—Every application under sub-rule (1) shall be scrutinised by the officer authorised by Controller within fifteen days from the date of issue of the registration certificate, and —
 - (a) where the application is found to contain any statement which is false or incorrect in any material particular, the registration certificate shall be liable to be suspended or cancelled in accordance with rule 12;
 - (b) a registration certificate obtained on the basis of a declaration which is false in any material particular shall be void *ab initio*, and the fee paid in respect thereof shall not be refunded;

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed to limit or affect the exercise, at any time, of any power under section 15 of the Act or under rule 12.
 - (7) **Quarterly return.**—Every holder of a registration certificate shall furnish, through the electronic portal referred to in sub-rule (1), a return in Form QR-1 set out in Schedule VII-A in respect of each quarter ending on the 31st day of March, the 30th day of June, the 30th day of September and the 31st day of December, on or before the fifteenth day of the month immediately following the quarter to which the return relates.
 - (8) **Records and registers.**—Every holder of a registration certificate shall maintain the registers and records set out in Schedule VII in accordance with rule 13 and section 17 of the Act, and shall produce the same for inspection when so required under sub-section (2) of section 15 of the Act.
 - (9) **Workshop, equipment and tools.**—Every registered manufacturer and every registered repairer shall provide and maintain the workshop, equipment, tools and appliances specified in the conditions set out in Schedule III applicable to him.
 - (10) **Security deposit.**—Every registered repairer shall furnish, in respect of each registration certificate, a security deposit of the amount specified in Schedule VI, which shall be online mode, in favour of the Controller, and —
 - (a) no interest shall be payable by the State Government on any security deposit so furnished;
 - (b) the security deposit shall be liable to forfeiture, in whole or in part, by an order in writing of the Controller stating the reasons therefor and made after giving the holder a reasonable opportunity of being heard, where the registration certificate is cancelled under rule 12 or where any sum is due from the holder under the Act or these rules.
 - (11) **Display.** —Every registration certificate shall be displayed in a

conspicuous place in the premises in which the registered person carries on his business.

- (12) **Not saleable or transferable.**—A registration certificate shall be neither saleable nor transferable.
- (13) **Change in particulars.(Alteration) —**
- (a) Every holder of a registration certificate shall intimate to the Controller or the officer authorised by him, through the electronic portal, any change in the particulars furnished in his application, within thirty days from the date of such change.
 - (b) On receipt of such intimation and on payment of the fee specified in Schedule IV for alteration of a registration certificate, the Controller or the said officer shall alter the registration certificate accordingly.
 - (c) Where there is a change in the constitution of a firm, company or other body which holds a registration certificate, whether by reason of admission or retirement of a partner, amalgamation, demerger or otherwise, such that the person carrying on the business is not the person to whom the registration certificate was issued, a fresh application shall be made under sub-rule (1) within sixty days of such change, and the existing registration certificate shall continue in force until the fresh registration certificate is issued or until the expiry of the said period of sixty days, whichever is earlier.
- (14) **Duplicate registration certificate.**—Where a registration certificate is lost, destroyed, mutilated or defaced, the holder may apply for a duplicate thereof on payment of the fee specified in Schedule IV, and a duplicate shall be issued electronically bearing the same registration number and marked 'DUPLICATE'.
- (15) **Surrender and deregistration. —**
- (a) A holder who ceases, or intends to cease, to carry on business as a manufacturer, repairer or dealer may apply for deregistration through the electronic portal and shall surrender the registration certificate.
 - (b) On being satisfied that no proceeding under the Act or these rules is pending against the applicant and that no sum is due from him, the Controller or the officer authorised by him shall deregistered their registration certificate and entered the same in the register maintained under sub-rule (16).
 - (c) The surrender of a registration certificate shall not affect any proceeding, inquiry, prosecution or liability under the Act or these rules in respect of anything done or omitted before such surrender, and every such proceeding may be instituted or continued as if the registration certificate had not been surrendered.
- (16) **Register of registered persons.**—The Controller or such other officer as may be authorised by him in this behalf shall maintain, in electronic form, a register of registered manufacturers, repairers and dealers in the form set out in Schedule V, and shall publish on the electronic portal the registration number, name, category and principal place of business of every registered person and the current status of his registration certificate.

- (17) **General inspection.-** Inspection shall be carried out on the basis of electronically selected on random basis through software or complain received from reasonable sources.

4. Substitution of rule 12.—In the principal rules, for rule 12, the following rule shall be substituted, namely: —

12. Suspension and cancellation of registration certificate.

- (1) **Suspension pending inquiry.** — The Controller or such other officer as may be authorised by him in this behalf may, if he has reasonable cause to believe that the holder of any registration certificate issued or continued under the Act has made any statement in, or in relation to, any application for the issue or continuance of the registration certificate which is incorrect or false in any material particular, or has contravened any provision of the Act or any rule or order made thereunder, suspend such registration certificate pending the completion of an inquiry against the holder.

Provided that no registration certificate shall be suspended under this sub-rule unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

- (2) **Suspension without prior notice.**—Notwithstanding anything contained in the proviso to sub-rule (1), where the Controller is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, in order to prevent the continuance of a contravention or to prevent injury or loss to consumers, he may, for reasons to be recorded in writing, suspend a registration certificate without prior notice, and —

- (a) a copy of the order, together with the reasons recorded, shall be served on the holder forthwith and in any case within three days.
- (b) the holder shall be given an opportunity of being heard within seven days from the date of the order. and
- (c) the Controller shall within fifteen days from the conclusion of the hearing, by a speaking order, confirm, modify or vacate the order of suspension, and where no such order is made within the said period, the suspension shall stand vacated.

- (3) **Duration of suspension.**—Where the inquiry referred to in sub-rule (1) is not completed within a period of three months from the date of suspension of a registration certificate, such suspension shall, on the expiry of the period aforesaid, stand vacated:

Provided that where the Controller is satisfied that the inquiry could not be completed within the said period for reasons attributable to the holder of the registration certificate, he may, for reasons to be recorded in writing and after giving the holder a reasonable opportunity of being heard, extend the period of suspension on one occasion only, by such further period, not exceeding three months, as he may specify.

- (4) **Cancellation.**—The Controller or such other officer as may be authorised by him in this behalf may, if he is satisfied, after making such inquiry as he may think fit, that any of the grounds specified in sub-rule (5) exists, cancel the registration certificate:

Provided that no registration certificate shall be cancelled unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of

showing cause against the proposed action.

- (5) **Grounds for cancellation.**—A registration certificate may be cancelled under sub-rule (4) on any of the following grounds, namely —
 - (a) that the holder has made a statement, in or in relation to any application for the issue or continuance of the registration certificate, which is false or incorrect in any material particular;
 - (b) that the holder has contravened any provision of the Act or any rule or order made thereunder, or any condition of the registration certificate;
 - (c) that the holder has failed to furnish the return required by sub-rule (7) of rule 11 for two consecutive quarters, after being required to do so
- (6) **Order to be a speaking order.**—Every order of suspension or cancellation under this rule shall be in writing, shall state the grounds on which it is made and the reasons for the conclusion reached, shall be communicated to the holder within seven days of the date thereof, and shall specify the authority to which and the period within which an appeal lies under rule 12A.
- (7) **Effect of suspension.**—Every person whose registration certificate has been suspended shall, immediately upon service of the order of suspension, cease to carry on business as a manufacturer, repairer or dealer, as the case may be, and shall not resume such business until the order of suspension has been, or stands, vacated.
- (8) **Surrender on cancellation.**—Every registered manufacturer, repairer or dealer whose registration certificate has been cancelled shall, forthwith after such cancellation, surrender the registration certificate to the authority by which it was issued.
- (9) **Disposal of stock on cancellation.**—
 - (a) Every registered manufacturer, repairer or dealer whose registration certificate has been cancelled shall, within a period of thirty days from the date of such cancellation, or within such further period, not exceeding three months from such date, as the Controller or the officer authorised by him may, on sufficient cause being shown, allow, dispose of the weights or measures which were in his possession, custody or control on the date of such cancellation.
 - (b) In the event of his failure so to do, the Controller or any officer authorised by him in writing in this behalf may seize and dispose of the same in such manner as the Controller may, by general or special order, direct, and shall, after deducting the expenses of such seizure and disposal and any sum due from such person under the Act or these rules, pay the balance of the proceeds to such person.

5. Insertion of new rule 12A.—In the principal rules, after rule 12 as so substituted, the following rule shall be inserted, namely:-

"12A. Appeals. —

- (1) Any person aggrieved by an order made under rule 11 or rule 12 may prefer an appeal as per the provision of section 50 of the Act. The appellants shall appeal to the appellant authority as per act in the form set out in Schedule X of principal rule accompanied by a copy of the

order appealed against and the fee specified in sub-rule (2) of Rule 26 of principal rule.

The result of every appeal shall be entered in the register maintained under sub-rule (16) of rule 11."

Explanation:- appellant authority for appeal—the appellant authority to the appeal against order of

- a. inspector , Legal Metrology is Assistant Controller, Legal Metrology.
- b. Assistant Controller, Legal Metrology is Deputy Controller, Legal Metrology.
- c. Deputy Controller, Legal Metrology is Controller, Legal Metrology.
- d. Joint Controller, Legal Metrology is Controller, Legal Metrology.
- e. Controller, Legal Metrology is Principal Secretary, Agriculture / Secretary, Agriculture /Office authorised by State Government.

6. In the principal rules, for rule 13:- the word '**licenced**' shall be substituted by '**registered**'.

7. Substitution of rule 14.—In the principal rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely: —

14. Periodical interval for the verification of weights and measures. — The periodical interval for the verification of weights and measures shall be as has been specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and as amendment by the Central Government time to time."

8. Amendment of rule 20.— (1) In the principal rules, in sub-rule (3) of rule 20, for the word "licenced", the word "registered" shall be substituted.

9. Substitution of rule 27. —In the principal rules, for rule 27, the following rule shall be substituted, namely

"27. Sum for compounding of offences.—The sum on payment of which an offence may be compounded under section 48 of the Act shall be as specified in Schedule XI.

10. Transitional provisions and savings.—

- (1) Every licence granted under rule 11 of the principal rules and subsisting immediately before the commencement of these rules shall, on such commencement, be deemed to be a registration certificate issued under rule 11 of the principal rules as substituted by these rules, and shall continue in force without renewal, subject to rule 12 of the principal rules as so substituted.
- (2) Every application for the grant or renewal of a licence pending after payment of fee immediately before the commencement of these rules shall be disposed of as an application for a registration certificate under rule 11 of the principal rules as so substituted, and no further fee shall be payable in respect thereof.
- (3) Where any fee has been paid in respect of a period of validity of a licence extending beyond the date of commencement of these rules, no refund thereof shall be claimable by reason only of the substitution effected by these rules.
- (4) Every security deposit furnished under the principal rules and subsisting immediately before the commencement of these rules shall be deemed to have been furnished under sub-rule (10) of rule 11 of the principal rules as so substituted.

- (5) Every inquiry, proceeding, appeal, prosecution or proceeding for compounding pending immediately before the commencement of these rules shall be continued and disposed of as if these rules had not been made; and any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed before such commencement shall not be affected by these rules.
- (6) Every register maintained under the principal rules immediately before the commencement of these rules shall continue to be maintained until the electronic register referred to in sub-rule (16) of rule 11 of the principal rules as so substituted is brought into use, and the entries in the former shall be transferred to the latter.
- (7) A person who, immediately before the commencement of these rules, was carrying on business as a manufacturer, repairer or dealer under a valid licence shall not be required to make a fresh application, and shall be issued a registration certificate bearing his existing licence number under sub-rule (2) of rule 11 of the principal rules as so substituted, without payment of any further fee.

11. Substitution of Schedule II-A and omission of Schedule II-B.—(1) In the principal rules, for Schedule II-A, the following Schedule shall be substituted, namely: —

SCHEDULE II
[See rule 11(1)]
FORM RM/RR/RD-1

Application for registration certificate as a manufacturer/repairer/dealer of weights and measures under the Legal Metrology Act, 2009

To

The Controller of Legal Metrology / the officer authorised in this behalf,
Government of Bihar.

Sl. No.	Particulars	To be furnished by the applicant
1	Name of the concern seeking the registration certificate (Manufacturer/Repairer/Dealer)	
2	Complete address of the concern, with PIN code (Manufacturer/Repairer/Dealer)	
3	Name(s) and address(es), with father's / mother's / spouse's name, of the proprietor(s), partner(s), or Managing Director(s), as the case may be (Manufacturer/Repairer/Dealer)	
4	Permanent Account Number (PAN) (Manufacturer/Repairer/Dealer)	
5	Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN), if any (Manufacturer/Repairer/Dealer)	
6	Category and type of weights and measures proposed to be manufactured — (a) weights; (b) measures; (c) weighing instruments; (d) measuring instruments — with details in each case (Manufacturer)	
7	Monogram or trade mark proposed to be imprinted on the weights	

Sl. No.	Particulars	To be furnished by the applicant
	and measures to be manufactured (Manufacturer)	
8	Details of approval of model obtained under section 22 of the Act, where applicable (Manufacturer)	
9	Whether the applicant has previously applied for a manufacturer's registration certificate or licence, in this State or elsewhere; if so, particulars and outcome (Manufacturer)	
10	Type of weights and measures proposed to be repaired (Repairer)	
11	Areas within the State of Bihar in which the applicant proposes to operate (to be specified in the registration certificate under sub-rule (4) of rule 11) (Repairer)	
12	Previous experience in the line (Repairer).	
13	Particulars of the stock of standard and test weights held (Repairer).	
14	Particulars of the security deposit furnished under sub-rule (10) of rule 11 (Repairer)	
15	Whether the applicant has previously applied for a repairer's registration certificate or licence, in this State or elsewhere; if so, particulars and outcome (Repairer)	
16	Categories of weights and measures sold or proposed to be sold (Dealer)	
17	Whether the applicant has previously applied for a dealer's registration certificate or licence, in this State or elsewhere; if so, particulars and outcome (Dealer)	

Declaration by the applicant

I / We declare that —

1. the particulars furnished above are true and correct to the best of my / our knowledge and belief, and nothing material has been concealed;
2. I / We have read the Legal Metrology Act, 2009, Bihar Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2014, and its amendment and agree to abide by the same and by the conditions of the registration certificate set out in Schedule III;
3. I / We am / are aware that a registration certificate obtained on the basis of a declaration which is false in any material particular shall be void *ab initio*, and shall render me / us liable to as per the provision act & rule made under;
4. I / We shall intimate any change in the above particulars within thirty days of such change, as required by sub-rule (13) of rule 11.

Place: _____

Date: _____

Signature of the applicant, with name and designation

For office use (Record through system generated stored in backend)

Application reference number: _____ Date and time of receipt: _____

Fee paid: ₹ _____ Challan / transaction reference: _____ Registration

certificate generated on: _____ Registration number: _____ Scrutiny under sub-rule (6) of rule 11 completed on: _____ Action taken on scrutiny, if any: _____

12. Substitution of Schedule III

In the principal rules, for Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely: —

SCHEDULE III [See rule 11(2) and rule 11(5)] RM/RR/RD-3

Government of Bihar—Office of the Controller of Legal Metrology
Registration certificate to manufacturer/repairer/dealer weights, measures, weighing instruments or measuring instruments

Registration No.: _____ Date of issue: _____

1. The Controller of Legal Metrology hereby registers _____ (*name and address of the party or parties*) as a **manufacturer/repairer/dealer** of the following weights, measures, weighing instruments or measuring instruments:
2. This registration certificate is valid in respect of the workshop of the party located at _____ and is valid throughout the State of Bihar.
3. This registration certificate shall remain in force from the date of issue until it is suspended, cancelled or surrendered under rule 12.
4. The trade mark or monogram used by the manufacturer is: _____
5. The holder shall comply with the conditions set out below. Failure to comply with any of them renders the registration certificate liable to suspension or cancellation under rule 12.
6. The party is registered to repair weights, measures, weighing instruments and measuring instruments in the following areas within the State of Bihar:

***Digitally signed* Controller of Legal
Metrology, Government of Bihar**

Note.— In the case of a firm, its name together with the names of all persons having any interest in the business shall be entered against paragraph 1.

Conditions of registration certificate (manufacturer/repairer/dealer)

The person in whose favour this registration certificate is issued shall —

- (a) comply with all relevant provisions of the Act and the rules for the time being in force;
- (b) not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the rules;
- (c) exhibit this registration certificate in a conspicuous part of the premises to which it relates;
- (d) comply with any general or special direction given by the Controller under the Act or the rules made thereunder;
- (e) surrender this registration certificate in the event of closure of business or cancellation;

- (f) present every weight, measure, weighing instrument or measuring instrument manufactured by him and intended for use within the State to the legal metrology officer for verification and stamping before sale (for manufacturer) ;
- (g) provide and maintain the workshop, machinery, tools, accessories and testing facilities declared in his application, and intimate any alteration therein under sub-rule (13) of rule 11;
- (h) maintain the register in Form RM-4 set out in Schedule VII and furnish the quarterly return in Form QR-1 set out in Schedule VII-A (for manufacturer) ;
- (i) where he undertakes, under the proviso to sub-rule (1) of rule 11, the repair of a weight or measure manufactured by him in a State other than the State of manufacture, intimate the legal metrology officer having jurisdiction over the premises to which this registration certificate relates, in advance of such repair (for manufacturer) ;
- (j) present every weight, measure, weighing instrument or measuring instrument repaired by him to the legal metrology officer for verification and stamping, at the intervals specified in rule 14, before delivery to the user (**for repairer**) ;
- (k) where any weight, measure, weighing instrument or measuring instrument is serviced or repaired before the date on which its verification falls due, and in the process the verification stamp of the legal metrology officer is defaced, removed or broken, present the same, duly repaired, to the legal metrology officer for re-verification and stamping before delivery to the user (**for repairer**) ;
- (l) maintain and keep in good order the standard and test weights and the tools and appliances declared in his application (**for repairer**) ;
- (m) maintain the register in Form RR-4 set out in Schedule VII and furnish the quarterly return in Form QR-1 set out in Schedule VII-A (**for repairer**).
- (n) not sell, or offer, expose or possess for sale, any non-standard or unverified weight or measure (**for dealer**).;
- (o) maintain the register in Form RD-4 set out in Schedule VII and furnish the quarterly return in Form QR-1 set out in Schedule VII-A (**for dealer**);

13. Substitution of Schedule IV

In the principal rules, for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely: —

SCHEDULE IV

[See rule 11(1), rule 11(13) and rule 11(14)]

Fees for issue of registration certificate

Issue of Registration Certificate to:	Fees
1. Manufacturer	₹30000/-
2. Repairer	20000/-
3. Dealer	20000/-

Other fees

Item	Fee
Alteration of registration certificate under rule 11(13)	₹ 1000
Issue of duplicate registration certificate under rule 11(14)	₹ 500

(No appeal fee is prescribed here. Sub-rule (2) of rule 26 of the principal rules already prescribes ₹500 for an appeal to the State Government and ₹200 for an appeal to the Controller, and Schedule X prescribes the form. Rule 12A cross-refers to both.)

Notes.

Every fee under this Schedule shall be paid electronically through the portal notified under sub-rule (1) of rule 11, and shall be credited to the State Government .

14. Substitution of Schedule V

In the principal rules, for Schedule V, the following Schedule shall be substituted, namely: —

SCHEDULE V

[See rule 11(16)]

Register of registered manufacturers, repairers and dealers in weights, measures, weighing instruments and measuring instruments

Office of _____

Col.	Particulars
1	Registration number
2	Date of issue
3	Category (manufacturer / repairer / dealer) and fee category under Schedule IV
4	Name and complete address of the manufacturer, repairer or dealer
5	Place where the workshop, factory or premises is situated
6	Areas of operation specified under rule 11(4), in the case of a repairer
7	Articles to be manufactured, repaired or sold
8	Trade mark or monogram used
9	Particulars of security deposit furnished, and of any forfeiture or refund thereof

Col.	Particulars
10	Particulars of improvement notices issued under the Act
11	Particulars of orders of suspension, with dates of commencement and vacation
12	Particulars of orders of cancellation
13	Result of appeal, if any, under rule 12A
14	Particulars of alteration under rule 11(13) or of deregistration under rule 11(15)
15	Signature or digital signature of the competent authority
16	Remarks

Notes.— (i) Column 5 does not apply to dealers. (ii) Columns 6 and 9 apply only to repairers. (iii) Column 8 does not apply to repairers and dealers. (iv) This register shall be maintained in electronic form.

15. Substitution of Schedule VI

In the principal rules, for Schedule VI, the following Schedule shall be substituted, namely: —

SCHEDULE VI

[See rule 11(10)]

Security deposit to be furnished by a registered repairer

Repairer of Weights and Measures including Weighing and Measuring Instruments	₹ 1000
---	--------

Notes.

1. The security deposit may be in online mode in favour of the Controller.
2. No interest shall be payable by the State Government on any security deposit.
3. The security deposit shall be liable to forfeiture in accordance with clauses (b) of sub-rule (10) of rule 11.

16. Substitution of Schedule VII

In the principal rules, for Schedule VII, the following Schedule shall be substituted, namely: —

SCHEDULE VII

[See rule 13]

FORM RM-4**Register to be maintained by a manufacturer of weights and measures**

Name and address of the manufacturer: _____ Registration number: _____
 Date of issue: _____ Particulars of any order suspending or
 cancelling the registration certificate: _____ Description of the weight or
 measure: _____

Col.	Particulars
1	Serial number
2	Month
3	Unsold stock brought forward from the previous month
4	Quantity manufactured during the month
5	Total (3 + 4)
6	Sold within the State — number of items sold
7	Sold within the State — despatch voucher number and date
8	Sold outside the State — name of the State
9	Sold outside the State — number of items sold
10	Sold outside the State — despatch voucher number and date
11	Total sold (6 + 9)
12	Balance (5 – 11)
13	Remarks

FORM RR-4**Register to be maintained by a repairer of weights and measures**

Name and address of the repairer: _____ Registration number: _____
 Date of issue: _____ Particulars of any order suspending or cancelling the
 registration certificate: _____

Col.	Particulars
1	Serial number
2	Date of receipt
3	Name and address of the user from whom received
4	Items and their numbers booked for repair
5	Receipt number and date of issue to the user
6	Amount of repairing charges
7	Amount of verification fee

Col.	Particulars
8	Total amount charged
9	Date of presentation to the legal metrology officer for verification and stamping
10	Date of return to the user
11	Remarks

FORM RD-4

Register to be maintained by a dealer in weights and measures

Name and address of the dealer: _____ Registration number: _____

Date of issue: _____ Particulars of any order suspending or cancelling the registration certificate: _____ Description and category of the weight or measure: _____

Col.	Particulars
1	Serial number
2	Month
3	Unsold stock brought forward from the previous month
4	Brought from within the State during the month
5	Brought from outside the State during the month
6	Total (3 + 4 + 5)
7	Sold within the State — number of items sold
8	Sold within the State — despatch voucher number and date
9	Sold outside the State — name of the State
10	Sold outside the State — number of items sold
11	Sold outside the State — despatch voucher number and date
12	Total sold (7 + 10)
13	Balance (6 – 12)
14	Remarks

17. Insertion of Schedule VII-A

In the principal rules, after Schedule VII as so substituted, the following Schedule shall be inserted, namely: —

SCHEDULE VII-A

[See rule 11(7)]

FORM QR-1**Quarterly return to be furnished by a registered manufacturer, repairer or dealer**

Quarter ending: _____ Registration number: _____ Name and address of
the registered person: _____ Category: manufacturer / repairer / dealer

Sl. No.	Particulars	To be furnished
1	Opening stock of weights and measures at the beginning of the quarter	
2	Quantity manufactured, repaired or acquired during the quarter, category-wise	
3	Quantity sold or delivered within the State during the quarter	
4	Quantity sold, repaired or delivered outside the State during the quarter, with the names of the States	
5	Closing stock at the end of the quarter	
6	Number of instruments presented for verification and stamping during the quarter, and the number verified	
7	Particulars of any change in the particulars furnished in the application for registration, and whether intimated under rule 11(13)	
8	Particulars of any improvement notice received under section 15(6) of the Act during the quarter and the action taken thereon	

Declaration

I / We declare that the particulars furnished in this return are true and correct to the best of my / our knowledge and belief, and that I / We am / are aware that a return which is false in any material particular attracts section 41 of the Act.

Place: _____

Date: _____

Signature of the registered person

18. Substitution of Schedule XI

In the principal rules, for Schedule XI, the following Schedule shall be substituted, namely: —

SCHEDULE XI

[See rule 27]

Sum for compounding of offences

Sl. No.	Nature of contravention	Penal section	First contravention	Second offence
1	S. 8(3) Use or keeping for use of any weight or measure, or use of any numeration, otherwise than in accordance with the standards specified by or under the Act	25	Improvement notice	₹10,000
2	S. 26 Alteration of, or tampering with, any reference, secondary or working standard, or of any weight or measure, with intent to deceive	26	₹25,000	₹50,000
3	S. 8(4) Manufacture or sale of any weight or measure not conforming to the standards specified by or under the Act	27	Improvement notice	₹20,000
4	S. 10 Making any transaction, deal or contract in contravention of the standards specified under	28	Improvement notice	₹10,000
5	S. 11 Quoting, announcing, issuing or exhibiting any price, price list or advertisement otherwise than in terms of standard units	29	Improvement notice	₹10,000
6	S. 12 Delivering, receiving or rendering any article, thing or service in excess of or less than the quantity contracted or paid for	30	₹5,000	₹10,000
7	S. 17 Failure to submit returns, or to maintain or produce any record, register, weight, measure or document and production of weight, measure, document register on demand	31	Improvement notice	₹10,000
8	S.24 Use of an unverified weight or measure in any transaction or for protection,	33	₹2,500	₹5,000
9	S.33 sale, distribution or delivery of an unverified weight or measure	33	₹5,000	₹7,500
10	S. 34 Sale or delivery of any commodity, article or thing by means other than a standard weight, measure or number	34	Improvement notice	₹10,000
11	S. 35 Rendering of any service by means of a non-standard weight, measure or number	35	Improvement notice	₹10,000
12	S. 18(1) Manufacturer packer, importer, sale or distribution, including through digital modes, of a pre-packaged commodity not conforming to the declarations required	36(1)	Improvement notice	Manufacturer ₹25,000; Dealer ₹10,000
13	S. 18(2) Manufacturer, packer or importer of a pre-packaged commodity with error in net quantity beyond the permissible limit.	36(2)	₹15,000	₹25,000
14	S. 24 Contravention by a Government approved	37(1)	₹25,000	₹50,000

Sl. No.	Nature of contravention	Penal section	First contravention	Second offence
	Test Centre of the Act, the rules or the conditions of its licence			
15	S. 41 Giving false information, or submitting a return or maintaining a record or register false in any material particular	41	Improvement notice	₹2,500
16	S. 23 Manufacture of any weight or measure without a valid registration	45	Improvement notice	₹10,000
17	S. 23 Repair or sale of, or offering, exposing or possessing for repair or sale, any weight or measure without a valid registration	46	Improvement notice	₹2,500
18	S. 47 Altering or tampering with a registration certificate	47	Improvement notice	₹10,000
19	S.53(3) provision of any rule made under the act	S. 53(3)	₹2,500	₹5,000

Notes.

1. The sums specified in this Schedule are fixed sums and not minimum sums, and no officer competent to compound shall demand or accept any sum other than the sum so specified.
2. No sum specified in this Schedule shall exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under the Act for the offence so compounded.
3. Where the Act provides that a first contravention shall be met with an improvement notice, no offence punishable with fine arises on the first contravention and there is accordingly nothing to compound.
4. In computing whether a contravention is a first, second or third contravention, only contraventions of the same section committed by the same person shall be taken into account.

By Order of the Governor of Bihar,
Narmdeshwar Lal,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 1263-571+200-डी0टी0पी0
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>